



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);


पत्रांक: एफ(20)आकाशि/नि.सं./पॉलिसी/2020/ 256

दिनांक 24.06.2020

आदेश


कोविड-19 की विषम स्थितियों व दस्तावेजों की प्राप्ति व प्रेषण के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए नवीन महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की पूर्व निर्धारित अन्तिम तिथि 30 जून 2020 में अभिवृद्धि कर 31 जुलाई 2020 व नवीन विषय/संकाय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की पूर्व निर्धारित अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2020 में अभिवृद्धि कर 14 अगस्त 2020 की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(प्रदीप कुमार बोरोड, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(नि.सं.)